स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

# न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया, आर.ए.एस.

**परिवाद संख्या 07/2018**

प्रार्थी

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
जोधपुर।

**बनाम**

अप्रार्थी

1. श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकूलदास खत्री(एफबीओ/मालिक/सेल्समैन) मैं.– रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड)पी. एफ आफिस के पास,338,339, झवर रोड जोधपुर।
2. श्री मुधुसूदन कुमार शर्मा पुत्र श्री नरसिंह दत शर्मा (भण्डार महाप्रबंधक) फर्म – मै.–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
3. फर्म – मै0–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।
4. श्री प्रकाशचन्द गहलोत, मालिक मै0– कृष्णा ट्रेडिंग 6 डी 5, 5वीं पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।
5. श्री अली, मालिक फर्म :– मै. न्यू जनता बेकरी 318, नमक की मण्डी किशनपोल बाजार, जयपुर।

**आदेश**

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 20.02.2017 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ,जोधपुर द्वारा ग त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मै. रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि.) पी एफ आफिस के पास 338,339 झंवर रोड जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) के 25 पैकेट (प्रत्येक पैकेट में 40 पीस) आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे। उक्त 4 पैकेट (प्रत्येक में 40 पीस) के वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 128/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा 4 पैकेट (प्रत्येक में 40 पीस) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1404 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विकेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1404 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1404 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम

मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा वि लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य वि लेशक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोग ाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1404 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 135/एक्ट/2017/137 दिनांक 06.03..2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (I I) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पे ा किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदे ा, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिके ान, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1404एवं खाद्य वि लेशक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

4. अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी संख्या एक ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) जयपूर की फर्म न्यू जनता बेकरी से खरीदा था लेकिन बिल कहीं गुम हो गया रहम करते हुए मामला निस्तारण फरमावें।इसी प्रकार निर्माता अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि पैकेट पर मेन्युफेक्टिरिंग डेट व पैकिग डैट अकित नहीं होना एवं बेंस्ट बिफोर स्मॉल अक्षर में लिखा जाने से सूजी मिल्क रस्क टोस्ट (रोजाना ब्राण्ड) मिस ब्राण्ड हुआ है जिसकी पुनरावृति नहीं होगी। अप्रार्थी संख्या 2, 3, 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया जाने के कारण जवाब बंद किया गया बहस हेतु आवाज लगायी गयी कोई उपसथित नहीं । एकपक्षीय आदेश करना उचित प्रतित होता है।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 137 दिनांक 06.03.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थी यदि रिपोर्ट दिनांक 06.03.2017 से सन्तुष्ट न था तो उनके पास रेफरल लेब जाने का अवसन था, परन्तु उन्होने निर्धारित समय में अपील पेश न की । ऐसी स्थिति में अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी हैं। अप्रार्थीगण संख्या एक पर शास्ती रूपये 5000 अक्षरे रूपये पांच हजार तथा अप्रार्थी पांच पर शास्ती रूपये 10,000 अक्षरे रूपये दस हजार की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक .13.07. 2018.....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक ...13.07.2018..... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः– न्यायिक/कोर्ट/2018/1590-1597 दिनांक :–13/7/2018

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोधपुर।
2. श्री संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
3. श्री अली, मालिक फर्म :– मै. न्यू जनता बेकरी मै. 318, नमक की मण्डी किशनपोल बाजार, जयपुर।

4.श्री चन्द्रप्रकाश खत्री पुत्र श्री गोकूलदास खत्री(एफबीओ/मालिक/सेल्समैन) मैं.– रामनगर सुपर मार्केट (जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड)पी. एफ आफिस के पास,338,339, झवर रोड जोधपुर।

5.श्री मुधुसूदन कुमार शर्मा पुत्र श्री नरसिंह दत शर्मा (भण्डार महाप्रबंधक) फर्म – मै.–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।

6.फर्म – मै0–जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि. कमरा नं0 203 राजीव गांधी सहकार भवन, रेल्वे स्टेशन के सामने, जोधपुर।

7.श्री प्रकाशचन्द गहलोत, मालिक मै0– कृष्णा ट्रेडिंग 6 डी 5, 5वीं पुलिया, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट ( शहर ) जोधपुर



फोन: 0291-2650316 ई-मेल: ADMCity128@gmail.com